



## विचार बिन्दु

हिंसा के मुकाबले में लाचारी का भाव आना अहिंसा नहीं कायरता है। अहिंसा को कायरता के साथ नहीं मिलाना चाहिए। –महात्मा गांधी

## क्या हिजाब के विवाद के निराकरण का कोर्ट के अतिरिक्त अन्य विकल्प भी हो सकता है?

ऐ

सा प्रतीत हो रहा है कि हम हिन्दू-मुसलमान हमारी गंगा जमुनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमें गर्व या कि संविधान ने जहाँ देश को धर्मीय प्रभाव रखने का दर्जा दिया, साथ ही देश के प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार भी दे दिया, किन्तु उसे लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के अधीन रहने दिया साथ ही धर्म के अबाध रूप से मानने, आधरण करने का खारिगर भी सभी व्यक्तियों को दे दिया और धार्मिक आचरण (Religious Practice) को रोगेट करने के बाबत राज्य को अधिकार दिया। इस प्रकार धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार सुरक्षित कर दिया धार्मिक आचरण के बाबत सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पांडे ने सन 1954 ही में यह निर्णय दिया कि ऐसी धार्मिक प्रेक्षिट धर्म का मूल्य भाग होना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 25 में यही संदेश दिया है तथा अनुच्छेद 29 में यह घोषणा की गई कि कोई धार्मिक अध्यासङ्गक जिसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा है उसे उनकी संरक्षण का मूल अधिकार होगा।

प्रत्यक्ष विवाद कर्नटक राज्य से है और हिजाब पहनने से संबंध रखता है। कर्नटक हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मुसलमान कन्ना विद्यार्थियों पर हिजाब पहनने पर निषेध अदेश चर्चित है। राज्य ने हिजाब पर प्रतिबंध कुछ स्कूलों पर लगाया था। कर्नटक राज्य की ओर से दलिल दी गई है कि हिजाब का प्रश्न स्कूल यूनिफॉर्म के लिये नहीं है। सन 2021 से पूर्व हिजाब पर लगाया था।

सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठी के माननीय सदस्य जस्टिस धूमिल गुप्ता व जस्टिस धूलिया हैं। इस पीठ के समक्ष 23 पिटीशनस के बेच पर सुनवाई हो रही है। इस खण्डपीठ के समक्ष दो प्रकार के केसेज हैं। एक जो रिट पिटीशन से संबंध रखता है जिसमें मुस्लिम बालिका स्टूडेन्ट्स ने हिजाब पहनने के अपने अधिकार के हेतु कोर्ट से गुरुता की है। दूसरे जो केसेज है जो एसएलपी के हैं, इनमें कर्नटक हाईकोर्ट के 15.03.2022 के निर्णय दिया कि शिक्षण संस्थाओं में यूनिफॉर्म पहनना पिटीशनस के मूल अधिकार का अतिरिक्त नहीं करता है। इनमें सिनेमार एडवोकेट कपिल सिंहल, सीनियर एडवोकेट प्रशान्त भूषण, सीनियर एडवोकेट अदित्य सौंदर्या, राजीव धवन, हुजरा की अहमदी आदि ने पक्षकारों की ओर से बहस की है। सरकार की ओर से श्री तुषार मेहता, सोलिस्टोर जनरल ने बहस की है। कर्नटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादी व एस्पी नवारजन ने राज्य की ओर से तथा कॉलेजी वीरचंद की ओर से शेषाद्री नवादू व वी. मोहन ने भी बहस में भाग लिया। इनका कहना था कि यूनिफॉर्म के बाबत विवाद नहीं होना चाहिये। यूनिफॉर्म का संबंध विद्यार्थियों में समानता की भावना पैदा करना है। यहाँ अनुच्छेद 14 पी मध्यदगर है। सीनियर एडवोकेट आर. वेंकटरमानी ने बहस में खूब सभी विवाद तत्वों से परे होने चाहिये।

सीनियर एडवोकेट कपिल सिंहल ने यह संझाया दिया है कि केस को संविधान पीठ को निर्णय हेतु भेजा जाना चाहिये। यह बहस भी की है कि इस केस में केवल अनुच्छेद 19 पर ही बहस सीमित नहीं है अपितु वह (Concept of qualified public space) का केस है। इसके अलावा हिजाब पहनना एक Cultural Right है जो अनुच्छेद 29 के तहत अधिकार की सुरक्षा आदि ने पक्षकारों की ओर से बहस की है। सरकार की ओर से श्री तुषार मेहता, सोलिस्टोर जनरल ने बहस की है। कर्नटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादी व एस्पी नवारजन ने राज्य की ओर से तथा कॉलेजी वीरचंद की ओर से शेषाद्री नवादू व वी. मोहन ने भी बहस में भाग लिया। इनका कहना था कि यूनिफॉर्म के बाबत विवाद नहीं होना चाहिये। यूनिफॉर्म का संबंध विद्यार्थियों में समानता की भावना पैदा करना है। यहाँ अनुच्छेद 14 पी मध्यदगर है। सीनियर एडवोकेट आर. वेंकटरमानी ने बहस में खूब सभी विवाद तत्वों से परे होने चाहिये।

**2021 से पूर्व तक हिजाब कोई विवाद था ही नहीं। ऐसी स्थिति (यदि यह सच है तो) उसे अपनाया जा सकता है तथा इस विवादास्पद प्रश्न को बिना फैसला किये आपसी सदभाव से सुलझाया जाना चाहिये।**

**आपसी सहमति से पिटीशन विद्दों की जा सकती है।**

प्रतिबंध लगाया है वह संविधान में जो Fraternity का Concept दिया है उसके विरुद्ध है। अहमदी की बहस भी कि खण्डपीठ का Concept दिया है जो मानवाने के द्वारा एडवोकेट अहमदी की बहस भी कि राज्य की आज्ञा दिनांक 05.02.2022 जिससे विवाद पर

प्रतिबंध लगाया है वह संविधान में जो Concept दिया है उसके विरुद्ध है।

दिनांक 20 सितम्बर 2022 को बहस का आठवां दिन था, उस दिन जस्टिस सुधारुण धूलिया ने बहसीलों के समक्ष खण्डपीठ किया कि उक्त प्रश्न पर हिजाब के लिये यह बहस नहीं हो सकता। उक्त का यह भी कहा गया है कि यूनिफॉर्म पर लगाया जा सकता है जब पांडुं पर भी यह लागू हो, अन्यथा प्रतिबंध संवेदनिक नहीं है। हिजाब पहनना अनुच्छेद 25 के तहत मूल अधिकार है।

सीनियर एडवोकेट कपिल सिंहल ने यह संझाया दिया है कि केस को संविधान पीठ को निर्णय हेतु भेजा जाना चाहिये। यह बहस भी की है कि इस केस में केवल अनुच्छेद 19 पर ही बहस सीमित नहीं है अपितु वह (Concept of qualified public space) का केस है। इसके अलावा हिजाब पहनना एक Cultural Right है जो अनुच्छेद 29 के तहत अधिकार की सुरक्षा आदि ने पक्षकारों की ओर से बहस की है। सरकार की ओर से श्री तुषार मेहता, सोलिस्टोर जनरल ने बहस की है। कर्नटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादी व एस्पी नवारजन ने राज्य की ओर से तथा कॉलेजी वीरचंद की ओर से शेषाद्री नवादू व वी. मोहन ने भी बहस में भाग लिया। इनका कहना था कि यूनिफॉर्म के बाबत विवाद नहीं होना चाहिये। यूनिफॉर्म का संबंध विद्यार्थियों में समानता की भावना पैदा करना है। यहाँ अनुच्छेद 14 पी मध्यदगर है। सीनियर एडवोकेट आर. वेंकटरमानी ने बहस में खूब होने चाहिये।

केस में दोनों पक्षों की ओर से बहस का स्तर ऊँचा है, किन्तु मूल प्रश्न तो यही माना जावेगा कि Essential Religious Practice क्या है और क्या हिजाब की प्रेक्षिट करना चाहिये।

दिनांक 05.02.2022 को बहस का आठवां दिन था, उस दिन जस्टिस सुधारुण धूलिया ने बहसीलों के समक्ष खण्डपीठ किया कि उक्त प्रश्न पर हिजाब के लिये यह बहस नहीं हो सकता। उक्त का यह भी कहा गया है कि यूनिफॉर्म पर लगाया जा सकता है जब पांडुं पर भी यह लागू हो, अन्यथा प्रतिबंध संवेदनिक नहीं है। हिजाब पहनना अनुच्छेद 25 के तहत मूल अधिकार है।

दिनांक 20.09.2022 की दीवानी की न्यूज में समाचार थे “ईरान में हिजाब के विरुद्ध हिंसक प्रश्न”। बहुत से इरानी यांचाहीयों ने यही हिजाब पर प्रश्न कर दिया।

उपरोक्त विवारों के मंधन से यह माना जा सकता है कि हिजाब धर्म के विशिष्ट व अधिन्द अंग नहीं हैं न इनका संबंध धर्म के आधरण के हैं। यह भी बहस से स्पष्ट समझ में नहीं आता है कि द्वेष कोड से हटकर इसे पहनना क्यों कर आवश्यक है? सरकार की आज्ञा दिनांक 5.2.2022 से पूर्व कुछ स्कूलों में जीर्णति थी द्वेष कोड से हटकर इसे पहनना क्यों कर आवश्यक है? सरकार की आज्ञा दिनांक 20.09.2022 के लिये इस प्रश्न के बाबत राज्य की ओर आवश्यक होता है।

द्वूषण मार्ग यह होना चाहिये कि हमेशा के लिये इस प्रश्न को संविधान पीठ को भेजकर, निर्णय लगाया जावे कि यह समाचार का मामा तो संविधान का नाम होता है।

तीसरा मार्ग है, यह मान लिया जावे कि हिजाब के लिये इस प्रश्न को संविधान पीठ को भेजकर, निर्णय लगाया जावे कि यह समाचार का मामा तो संविधान का नाम होता है।

तीसरा मार्ग है, यह मान लिया जावे कि हिजाब के लिये इस प्रश्न को संविधान पीठ को भेजकर, निर्णय लगाया जावे कि यह समाचार का मामा तो संविधान का नाम होता है।

तीसरा मार्ग है, यह मान लिया जावे कि हिजाब के लिये इस प्रश्न को संविधान पीठ को भेजकर, निर्णय लगाया जावे कि यह समाचार का मामा तो संविधान का नाम होता है।

तीसरा मार्ग है, यह मान लिया जावे कि हिजाब के लिये इस प्रश्न को संविधान पीठ को भेजकर, निर्णय लगाया जावे कि यह समाचार का मामा तो संविधान का नाम होता है।

तीसरा मार्ग है, यह मान लिया जावे कि हिजाब के लिये इस प्रश्न को संविधान पीठ को भेजकर, निर्णय लगाया जावे कि यह समाचार का मामा तो संविधान का नाम होता है।

तीसरा मार्ग है, यह मान लिया जावे कि हिजाब के लिये इस प्रश्न को संविधान पीठ को भेजकर, निर्णय लगाया जावे कि यह समाचार का मामा तो संविधान का नाम होता है।

तीसरा मार्ग है, यह मान लिया जावे कि हिजाब के लिये इस प्रश्न को संविधान पीठ को भेजकर, निर्णय लगाया जावे कि यह समाचार का मामा तो संविधान का नाम होता है।

तीसरा मार्ग है, यह मान लिया जावे कि हिजाब के लिये इस प्रश्न को संविधान पीठ को भेजकर, निर्णय लगाया जावे कि यह समाचार का मामा तो संविधान का नाम होता है।

तीसरा मार्ग है, यह मान लिया जावे कि हिजाब के लिये इस प्रश्न को संविधान पीठ को भेजकर, निर्णय लगाया जावे कि यह समाचार का मामा तो संविधान का नाम होता है।

तीसरा मार्ग है, यह म











मेरा मानना है कि दोनों भारतीय टीम में जगह के हकदार हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों विकेटकीपर हैं। उनकी बल्लेबाजी इतनी दमदार है। पंत मध्यक्रम में और कारिकॉट के तरों पर काफी खत्मनाक हो सकते हैं - रिकी पॉटिंग

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान, ऋषभ पंत और दिनेश कर्तिक को लेकर।

# खेल जगत्

## भारत-ऑस्ट्रेलिया में दूसरा टी-20 आज

नागपुर, 22 सितंबर। भारतीय टीम तीन मैचों की शृंखला में 0-1 से पिछड़ने के बाद शुक्रवार को दूसरी टी-20 में जसप्रीत बुमराह की वापसी से डेढ़ अंकों में अपनी बुमराही सुधारना चाहेंगी। भारत पहले मैच में 209 रन के खिलाफ लड़ायी की रसा नहीं कर सका और उसे चार विकेट से हार मिली। ऑस्ट्रेलिया से पहले पाकिस्तान और श्रीलंका भी भुवनेश्वर कुमार के 17 ओवरों से बाटों चुके हैं, जो भारत के लिये चिंता का विषय है।

गेंदबाजी के नियांशकनक प्रदर्शनों के कारण दूसरे मैच में बुमराह के खेलने की उम्मीदें ज्यादा हैं, हालांकि उनके स्थान पर अब भी संशय है। बुमराह पांठ की चोट के कारण इंग्लैंड दौरी के खेल होने के बाद से ही खेल से बाहर है।

लगातार महीने बाबत हो रहे युजेंड्र चहल की गेंदबाजी पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, मानो उन्होंने बल्लेबाजों को परेशान करने की अपनी क्षमता खो दी हो। चांतग्रस्त रखने वालों को जगह टीम में आय अराट पेटने हो गए। शुक्रवारी में 17 से बाले तीन विकेट काटकर सीधे तीर पर अपनी कारिलियान सविन करते हो। बल्लेबाजों में रोहित और विराट कोहली पिछले मैच में की

## बुमराह तैयार, चिंता की कोई बात नहीं : सूर्यकुमार

नागपुर, 22 सितंबर। भारतीय बल्लेबाज सर्वकुमार यादव को जसप्रीत बुमराह की फिनेस पीठ की चोट से बाहर करने के बाद नहीं हैं और यह जेंडेबाजी के खिलाफ शुरुआती टी-20 अंतर्राष्ट्रीय में अंतिम एकदिवाना का दिस्ता नहीं था। चांत से वापसी कर रहे इस गेंदबाज को टीम प्रबंधन ने थोड़ा और समय देने का फैसला किया था। बुमराह इंग्लैंड दौरी के बाद से भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है। दूसरी टी-20 अंतर्राष्ट्रीय से पहले सूर्यकुमार से अनंताइन संबद्धताएं सम्मलेन में जब बुमराह की फिटनेस और टी-20 टीम में उमेर से यादव को लेकर योजना के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा, "मुझे किसी खिलाड़ी पर टीम की योजना को लेकर कोई जानकारी नहीं है। इस सवाल का जवाब फिंचों और टीम प्रबंधन दे सकता है।" उन्होंने कहा, "टीम में हालांकि माहौल अच्छा है और सभी खिलाड़ी फिट और दूसरे मैच के लिए तैयार हैं।" उन्होंने बुमराह के बारे में दोबारा पूछे जाने पर कहा, "वह पूरी तरह से तैयार है, चिंता की कोई बात नहीं।" बुमराह की गैरमैजूदाओं में भारतीय टीम 208 रन के लक्ष्य का बचाव करने में विफल रही थी। तेज गेंदबाजों 205 से अधिक रन लुटाये। सूर्यकुमार ने गेंदबाजों का बचाव करने के बाद रहा। यादव में विछले मैच के बाद हमने कोई चर्चा नहीं हो चुकी थी। आपको ऑस्ट्रेलिया को श्रेय देना होगा, वे आक्रामक क्रिकेट के बाले।"

गयी गलियों को टीकराना चाहेंगे के लए राहत, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या अपनी विस्फोटक फॉर्म को जारी रखने का प्रयास करेंगे। विश्व कप के करीब आपे के साथ टीम प्रबंधन

दिवेश कारिकॉट का रथ अधिक पंत को परख सकता है। करिकॉट को फिनिश की भूमिका नियांने के लिये कई मौके नहीं मिले हैं, और अपने शुक्रवार को उन्हें मौका मिलता है तो वह अपना लोहा मनवाना चाहेंगे।

मौका मिलता है तो वह अपना लोहा मनवाना चाहेंगे।

## आईसीसी अध्यक्ष पद मेरे हाथ में नहीं : सौरव गांगुली

कोलकाता, 22 सितंबर। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने आईसीसी का अध्यक्ष बनने के अटकलों पर विराम लगाते हुए बुमराह के बाद यह किया गया कि ग्रेग वार्केल का कार्यकाल इस साल खलू रहेंगे और अगले अध्यक्ष का कार्यकाल एक दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2024 के बीच होगा।

उसके बाद से गांगुली के नाम के अटकलों लगाई जा रही है। उन्होंने इस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, "आईसीसी अध्यक्ष पद मेरे हाथ में नहीं है।" आईसीसी बोर्ड ने तय किया है कि अब अध्यक्ष के चुनौत के जरूर नहीं हैं नये सुझाव के तहत उन्मीदवारों को 51 प्रतिशत मर्यादा की जरूरत



है। भारतीय टीम पिछले कुछ अर्दे से फॉर्म में नहीं है और गांगुली ने स्वीकार किया कि किया कि बड़े दूरांमें में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाना चिंता

का विषय है। उन्होंने कहा, "रोहित शर्मा का जीत का प्रतिशत 80 के कीरदि है। भारत ने पिछले तीन चार मैचों पर हालौट पहले 35.40 मैचों में से पांच या छह ही गंवाए।"

उन्होंने कहा, "मुझे यकीन है कि रोहित और राहुल ब्रिड्ज़ इसे लेकर चिंतित होंगे कि हमने बड़े दूरांमें में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इस पर बात की जायेगी। विराट कोहली के शतक के बारे में उन्होंने कहा, "यह एक बात है कि विराट ने प्रियांका को में अच्छा खेला और उन्मीद है कि वह लल लड़के होंगे।"

महिला तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी इंग्लैंड के खिलाड़ी तीसरे और आखिरी बनडे के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बाद अवलोकन करने वाली है। गांगुली ने उन्हें "लौजैंड" बोला दीर्घी से अध्यक्ष के तौर पर पिछले तीन साल में हमारे बहेतरीन संबंध रहे हैं। उनका कैरियर शानदार रहा और वह महिला क्रिकेट में रोलार्डिंग होंगा।"

गांगुली ने विवरण किया कि विराट कोहली के बारे में भारतीय टीम के बारे में अच्छा खेला और बाकी करना चाहिए।

परगत सिंह ने मेलबर्न कप ट्रॉफी का अनावरण किया

का विषय है। उन्होंने कहा, "रोहित शर्मा का जीत का प्रतिशत 80 के कीरदि है। भारत ने पिछले तीन चार मैचों पर हालौट पहले 35.40 मैचों में से पांच या छह ही गंवाए।"

उन्होंने कहा, "मुझे यकीन है कि रोहित और राहुल ब्रिड्ज़ इसे लेकर चिंतित होंगे कि हमने बड़े दूरांमें में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इस पर बात की जायेगी। विराट कोहली के शतक के बारे में उन्होंने कहा, "यह एक बात है कि विराट ने प्रियांका को में अच्छा खेला और उन्मीद है कि वह लल लड़का होगा।"

महिला तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी इंग्लैंड के खिलाड़ी तीसरे और आखिरी बनडे के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बाद अवलोकन करने वाली है। गांगुली ने उन्हें "लौजैंड" बोला दीर्घी से अध्यक्ष के तौर पर पिछले तीन साल में हमारे बहेतरीन संबंध रहे हैं। उनका कैरियर शानदार रहा और वह महिला क्रिकेट में रोलार्डिंग होंगा।"

भारतीय टीम परिषद के बारे में अच्छा खेला और बाकी करना चाहिए।

परगत सिंह ने मेलबर्न हॉकी कप के प्रायोगिक काशिकों का शिक्षाया अद्यतन करने वाली और कार्यकारी बोर्ड के बारे में इसके बारे में संवेदनशील रहा। आईसीसी अध्यक्ष पद मेरे हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा, "यह एक बात है कि विराट ने प्रियांका को में अच्छा खेला और बाकी करना चाहिए।"

परगत सिंह ने मेलबर्न हॉकी कप के प्रायोगिक काशिकों का शिक्षाया अद्यतन करने वाली और कार्यकारी बोर्ड के बारे में इसके बारे में संवेदनशील रहा। आईसीसी अध्यक्ष पद मेरे हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा, "यह एक बात है कि विराट ने प्रियांका को में अच्छा खेला और बाकी करना चाहिए।"

परगत सिंह ने मेलबर्न हॉकी कप के प्रायोगिक काशिकों का शिक्षाया अद्यतन करने वाली और कार्यकारी बोर्ड के बारे में इसके बारे में संवेदनशील रहा। आईसीसी अध्यक्ष पद मेरे हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा, "यह एक बात है कि विराट ने प्रियांका को में अच्छा खेला और बाकी करना चाहिए।"

परगत सिंह ने मेलबर्न हॉकी कप के प्रायोगिक काशिकों का शिक्षाया अद्यतन करने वाली और कार्यकारी बोर्ड के बारे में इसके बारे में संवेदनशील रहा। आईसीसी अध्यक्ष पद मेरे हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा, "यह एक बात है कि विराट ने प्रियांका को में अच्छा खेला और बाकी करना चाहिए।"

परगत सिंह ने मेलबर्न हॉकी कप के प्रायोगिक काशिकों का शिक्षाया अद्यतन करने वाली और कार्यकारी बोर्ड के बारे में इसके बारे में संवेदनशील रहा। आईसीसी अध्यक्ष पद मेरे हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा, "यह एक बात है कि विराट ने प्रियांका को में अच्छा खेला और बाकी करना चाहिए।"

परगत सिंह ने मेलबर्न हॉकी कप के प्रायोगिक काशिकों का शिक्षाया अद्यतन करने वाली और कार्यकारी बोर्ड के बारे में इसके बारे में संवेदनशील रहा। आईसीसी अध्यक्ष पद मेरे हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा, "यह एक बात है कि विराट ने प्रियांका को में अच्छा खेला और बाकी करना चाहिए।"

परगत सिंह ने मेलबर्न हॉकी कप के प्रायोगिक काशिकों का शिक्षाया अद्यतन करने वाली और कार्यकारी बोर्ड के बारे में इसके बारे में संवेदनशील रहा। आईसीसी अध्यक्ष पद मेरे हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा, "यह एक बात है कि विराट ने प्रियांका को में अच्छा खेला और बाकी करना चाहिए।"

